न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरविन्दर डी0 सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
14/दावा/2016	08.03.2016	31.05.2024

धन्नालाल आ0 गोमदा जाति धाकड निवासी कैथुदा तह0 तालेडा जिला बून्दी राज0

.....वादी

बनाम

1. गोपाललाल आ0 कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी कैथुदा हाल तालेडा तह0 तालेडा जिला बून्दी
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा बून्दी (राज0)
3. उप पंजीयक तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आरटीएक्ट

वकीलवादी – श्री अखिलेश जैन
वकील प्रतिवादी – श्री कुलदीप सिंह गोड

– : : निर्णय : : –

अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0

प्रार्थी प्रतिवादी गोपाल की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित तथ्यों में भूखण्ड के बाबत विवरण किया गया। वाद वर्णित कृषि भूमि भूखण्ड की सिवायचक भूमि है वाद भूखण्ड का होने से न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नही है। वादी द्वारा स्वयं दस्तावेजात् कब्जा बाबत खसरा परिवर्तनशील पेश किया जिसमें भूमि की किस्म बंजड दर्ज होने से न्यायालय का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। वादी का वाद विधि द्वारा प्रतिपादित प्रावधानो के विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जावे।

अप्रार्थी वादी ने प्रा0पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं0 2 में भूखण्ड का विवरण किया गया है किन्तु वाद पत्र में वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड में आबादी भूमि दर्ज नही है। इसलिए माननीय न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार है। वादी गोपाल द्वारा ग्राम कैथुदा के अन्य व्यक्तियों के विरूद्व भी बेदखली के वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वाद माननीय न्यायालय में वर्ष 2016 से जैरकार है 9 वर्ष वाद प्रतिवादी प्रार्थी ने वाद साक्ष्यवादी में जैरकार होने पर प्रा0 पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया गया जो कि वाद में विलम्ब करने के लिए पेश किया गया है। वाद पत्र में जब तनकीयात कायम की गई , प्रतिवादी प्रार्थी ने कोई आपत्ति पेश नही की गई। प्रार्थी वादी ने वाद में भूमि के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा है और अप्रार्थी वादी ने घोषणा का वाद पेश किया है , अधिकार घोषणा का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जा सकता। इसलिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया। जिसे सुनने का श्रवणाधिकार श्रीमान को है। अतः प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सूनी गई

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित तथ्यों में भूखण्ड के बाबत विवरण किया गया। वाद वर्णित कृषि भूमि भूखण्ड की सिवायचक भूमि है वाद भूखण्ड का होने से न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नही है। वादी द्वारा स्वयं दस्तावेजात् कब्जा बाबत खसरा परिवर्तनशील पेश किया जिसमें भूमि की किस्म बंजड दर्ज होने से न्यायालय का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। वादी का वाद विधि द्वारा प्रतिपादित प्रावधानो के विरूद्व होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद में वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड में आबादी भूमि दर्ज नही है। वाद माननीय न्यायालय में वर्ष 2016 से जैरकार है 9 वर्ष वाद प्रतिवादी प्रार्थी ने वाद साक्ष्यवादी में जैरकार होने पर प्रा0 पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया गया जो कि वाद में विलम्ब करने के लिए पेश किया गया है। वाद पत्र में जब तनकीयात कायम की गई , प्रतिवादी प्रार्थी ने कोई आपत्ति पेश नही की गई। प्रार्थी वादी ने वाद में भूमि के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा है और अप्रार्थी वादी ने घोषणा का वाद पेश किया है , अधिकार घोषणा का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नही किया जा सकता। इसलिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया। जिसे सुनने का श्रवणाधिकार श्रीमान को है। अतः प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष सूनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड खसरा परिवर्तनशील संवत 2076 ख0सं0 785/335, पेनल्टी रसीदे , माननीय न्यायालय जिलाधीश बून्दी का निर्णय दिनांक 31.8.82 एवं अन्य दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद भूखण्ड पर अधिकार घोषणा का है वाद वर्णित आराजी राजकीय सिवायचक है एवं बंजड भूमि है जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज रेकार्ड है। वाद वर्णित आराजी कृषि भूमि के रूप में उपयोग में आ रही है इस बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश किये गये।

अतः वाद वर्णित आराजी को वादी ने वाद पत्र में भूखण्ड होना स्वीकार करने से श्रवणाधिकार के बिन्दु पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा